



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्तों को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 14,000रु० के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-826/2011 धारा-308,504,506,325,327,427 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.भूपेन्द्र अहिरवार पुत्र लालकिशन उर्फ अरुण कुमार व 2.बन्टी उर्फ शैलेन्द्र पुत्र लाल दीवान उर्फ अरुण कुमार नि०गण सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹14,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
डीजीसी श्री राजेश कुमार  
शुक्ला



विवेचक-  
उ०नि० मो० इकबाल



पैरोकार- थाना राठ  
का० प्रदीप भार्गव